

मूल घाव में शिक्की

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

1. ~~ओमप्रकाश पुत्र रामगज~~ बनाम 1. ~~रामगज पुत्र सेकराम चारि कुम्हार आदि~~  
~~चारि कुम्हार नि० रामगज आदि~~ नि० रामगज

दावा बाबत :- 88-188 R-11-11-11

मुकदमा नम्बर :- 226/20

निर्णय दिनांक :- 16.12.21


वादी की ओर से वकील विनोद कुमार सिंघाणा की व प्रतिवादी सं० — की ओर से वकील हरीन्द्र सिंह गडवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.12.21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

अराविकर राजीनामा रीषी मौजा चड 9 NTR के खानासं 67/66  
के मु० न० 88, 89, 92, 93, 94, 104 डी कुत 6.272 हे० वाद भूमि प्रति  
सं० रामगज के नाम राजस्व रिजॉर्ड में दर्ज है, उसमें परिवारी सं०  
01 रामगज का नाम उत्तमजन दिया जाकर वादी सं० ओमप्रकाश के  
1/3 हिस्सा, वादी सं० 2 रमेश पुत्र रामडिशन व प्रति सं० 2 रामडिशन  
के मसुमह रूप से 1/3 हिस्सा तथा प्रति सं० 3 दीवान सिंह के  
1/3 हिस्सा के अन्तर्गत खारेजा अराविकर घोषित किये जाते हैं जोकि  
प्रति सं० 1, पहाठ ने अपना हड हिस्सा वादी सं० 1, प्रति सं० 2 का 3  
व प्रति सं० 7-8 ने अपना हड हिस्सा वादी सं० 2, प्रति सं० 2 के  
पक्ष में लपटा कर शुद्ध कर सिद्ध है, इसलिए लपटा किये गये पर  
निपटारात पंजीपन शुद्ध अराविकर व हडि भूमि वरु के रख  
हे तो रख मुक्त होने पर उभाओर अन्तर्गत राजस्व रिजॉर्ड में  
अंजन का रिजॉर्ड उरुमह हटे राजीनामा जो डी ही का  
भाग पठा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/12/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की

गई।  
→ 12/1/22 दिनांक 16/12/21 के जारी आदेश में प्रतिवादी  
सं० 3 के लपान पर दिवान सिंह की  
भगद दिवाना राम पठा जावे।

  
(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)